सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 कार्तिक, 1940 (श०)

संख्या- 1033 राँची, सोमवार, 19 नवम्बर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

8 नवम्बर, 2018

संख्या-5/आरोप-1-47/2016-2713 (HRMS)-- श्रीमती मंजु रानी स्वांसी, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-815/03, गृह जिला-राँची), के अनुमंडल पदाधिकारी, चास, बोकारो के पद पर कार्यावधि से संबंधित मुख्य सचिव, झारखण्ड के माध्यम से प्राप्त उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-1448/गो०, दिनांक 3 मई, 2016 में प्रतिवेदित किया गया कि रामनवमी त्यौहार, 2016 के अवसर पर दिनांक 15 अप्रैल, 2016 को जिले के माराफारी थाना क्षेत्र के सिवनडीह में समुचित सुरक्षा व्यवस्था एवं पर्यवेक्षण नहीं की गई, जिसके कारण दो समुदायों के बीच मारपीट एवं आगजनी की घटना घटी।

उक्त आरोप हेतु विभागीय पत्रांक-4609, दिनांक 7 जून, 2016 द्वारा श्रीमती स्वांसी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी है, परन्तु इसके अनुपालन में इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है।

फलतः विभागीय आदेश सं०-6686, दिनांक 3 अगस्त, 2016 द्वारा श्रीमती स्वांसी को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया एवं विभाग स्तर पर प्रपत्र- 'क' का गठन किया गया।

श्रीमती स्वांसी के विरूद्ध प्रपत्र- 'क' में गठित आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं०-6829, दिनांक 9 अगस्त, 2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री एहतेशामुल हक, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय आदेश सं०-7192, दिनांक 22 अगस्त, 2016 द्वारा श्री एहतेशामुल हक, सेवानिवृत्त भा०प्र०से० के स्थान पर श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से० को विभागीय जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया। तत्पश्चात् विभागीय संकल्प सं०-7840, दिनांक 9 सितम्बर, 2016 द्वारा श्री झा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-101, दिनांक 3 नवम्बर, 2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

श्रीमती स्वांसी के विरूद्ध आरोप, इनके बचाव बयान तथा संचालन पदाधिकारी के मंतव्य के समीक्षोपरांत, विभागीय संकल्प सं०-5464, दिनांक 18 अप्रैल, 2017 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत् एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित करते हुए निलंबन से मुक्त किया गया । साथ ही, यह भी निदेश दिया गया कि निलंबन अवधि में श्रीमती स्वांसी को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-96 के तहत् केवल जीवन यापन भत्ता देय होगा ।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्रीमती स्वांसी के पत्र, दिनांक 11 जुलाई, 2017 एवं उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक-527/स्था०, दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 द्वारा पुनर्विचार हेतु अपील आवेदन समर्पित कराया गया । श्रीमती स्वांसी द्वारा समर्पित पुनर्विचार आवेदनों की समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा वही तथ्य अंकित किये गये है, जो विभाग को समर्पित आवेदनों एवं संचालन पदाधिकारी के समक्ष बचाव बयान में समर्पित किये गये हैं।

समीक्षोपरांत, श्रीमती मंजु रानी स्वांसी, झा०प्र०से०, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, चास, बोकारो द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इन पर अधिरोपित दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MANJU RANI SWANSI BHR/BAS/3805	श्रीमती मंजु रानी स्वांसी, झा०प्र०से०, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, चास, बोकारो द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इन पर अधिरोपित दण्ड को यथावत् रखने के संबंध में ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 1033 -- 50